न्यायालय, सब–जज तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0 नं0– 135/1992

13.09.2022

प्रस्तुत वाद वादी की ओर से दिए गए आवेदन आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सी. पी.सी. दिनांक–02.09.2022, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–13.09.2022 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन दिनांक–02.09.2022 पर सुनवाई के दौरान कहना है कि प्रस्तुत वाद में मुदई सं0–3 बच्चा मुनी पाण्डेय तारीख 20.12.2021 को अपने पीछे कानूनी वारिसानों को छोड़कर मर गये। वादी का यह भी कहना है कि उन्होंने बिलम्ब से दिये गये आवेदन के संबंध में बिलम्ब को माफ करने हेतू अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत आवेदन भी दिया है साथ ही प्रतिस्थापन आवेदन में मुदई सं0–3 बच्चा मुनी पाण्डेय के वारिसानों का नाम दिया गया है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि वाद के वादी सं0–3 बच्चा मुनी पाण्डेय के मृत्यु के पश्चात वाद पत्र से उनका नाम कलमजद कर उसके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का जोड़ा जाये।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का अपने प्रतिउत्तर दिनांक–13.09.2022 पर सुनवाई के दौरान कहना है कि वादी के द्वारा दिया गया आवेदन कानूनी पोषणीय नहीं है। मुदई के द्वारा काफी बिलम्ब से आवेदन दिया गया है तथा बिलम्ब माफी आवेदन में उनके द्वारा कोई विशेष कारण जिससे बिलम्ब हुआ हो नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के आवेदन दिनांक–02.09.2022 को खारिज करने की मांग करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0–3 बच्चा मुनी पाण्डेय हैं जिनके मृत्यु के संबंध में वादी द्वारा आवेदन दिया गया है। वादी ने अपने आवेदन में मुदई सं0–3 की मृत्यु की तारीख 20.12.2021 बताया है साथ ही बिलंब माफी करने हेतू भी आवेदन दिया है। प्रस्तुत वाद में वादी के मृत्यु कोरोना जैसे भयावह महामारी के समय होना प्रतीत होता है। प्रतिवादी के द्वारा वादी के आवेदन का विरोध मात्र बिलंब से दिये गये आवेदन के संबंध में किया गया है। मुदई सं0–3 के कानूनी वारिसान के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा किसी प्रकार का अपने आवेदन में आपत्ति का जिक्र नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात वादी के आवेदन दिनांक–02.09.2022 को स्वीकृत करते हुए वादी सं0–3 का नाम कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों का नाम वाद पत्र में जोड़ने का आदेश दिया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता कार्यालय लिपिक के उपस्थिति में वाद पत्र में वादी सं0–3 का नाम कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों का नाम अंकित करावें।

वाद दिनांक–27.09.2022. वास्ते उपस्थिति हेतु।

लेखापित

सब–जज, तृतीय,